

अनुदान संख्या 97 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF STEEL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	324,19,00		
		324,20,00	109,76,99	-214,43,01
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			214,41,39
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1,47,00		
		8429,36,00	8429,30,25	-5,75
पूरक	Supplementary	8427,89,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,72

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ: -

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services			
मू.	O.	6331.00		
पू.	S.	1.00	4196.65	4195.05
पु.	R.	-2135.35		-1.60

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"	
उद्योग	Industries	
मू.	O.	26088.00
पु.	R.	-19306.04

6781.96 6781.94 -0.02

(I) ₹16.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹16.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – इस्पात मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2136.95 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6332.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिसोर्ससैट-3ए उपग्रह के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Steel" - saving of ₹2136.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6332.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of less funds by Department of Space towards Resourcesat-3A Satellite.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "लौह एवं इस्पात उद्योग – विनिर्माण – उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" के अंतर्गत ₹19362.00 लाख की बचत (₹245820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समझौता ज्ञापन द्वारा प्रतिबद्ध उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2852" – "Iron and Steel Industries – Manufacture – Production Linked Incentive (PLI) Scheme"- saving of ₹19362.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24582.00 lakhs) was due to non-achievement of committed production figures as per Memorandum of Understanding.

2. एक शीर्ष के अंतर्गत ₹286.29 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत है।

2. Under one head excess of ₹286.29 lakhs occurred constituting 48 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, दिसंबर, 2024 में प्राप्त किया गया ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, token supplementary provision of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024 remained wholly unutilized under one head.